The Academic
International Journal of Multidisciplinary Research

An Online Peer Reviewed / Refereed Journal
Volume 2 | Issue 1 | January 2024
ISSN: 2583-973X
Website: www.theacademic.in

अभिभावकों की बाल अधिकारों के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन

प्रिया राय

शोधार्थी, शिक्षा संकाय, पैसिफिक एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, उदयपुर

डॉ. कौशिक वी. पण्डया

सहआचार्य, शिक्षा संकाय, पैसिफिक एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, उदयपुर

प्रस्तावना –

दुनिया में बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा भारत में हैं, इसलिये हमें बाल अधिकारों पर उसकी निर्धारित परिधि से आगे जाकर ध्यान देने की जरूरत है। अनेक कानूनी व सामाजिक व्यवस्थाओं के चलते हुए भी विश्व के अधिकांश देशों में बड़ी मात्रा में आज भी बच्चों को उनके मौलिक अधिकारों को प्रदान करना तो दूर इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों के समक्ष नित नई चुनौतियाँ उपस्थित हो रही हैं। आज उन्हे विभिन्न तरीकों से शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक रूप से प्रताड़ित करने, उनका दैहिक और आर्थिक शोषण करने एवं मूलभूत सुविधाओं से वंचित करने के लिए ऐसी तकनीकों और प्रविधियों तक का इस्तेमाल किया जा रहा है जो मानवता के नाम पर कलंक है। भारत में भी कमोवेश यही स्थिति है। यहाँ भी बच्चों को उनके संविधान सम्मत अधिकार दिलाने तथा उन्हे शोषण से बचाने के लिए अब तक अनेक कानूनों और अधिनियमों के निर्माण, उन्हे प्रभावी और उपयोगी बनाने हेतु समय–समय पर उनमें किये गये संशोधन, विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों आदि का संचालन करने जैसे अनेक प्रकार के प्रयास किये गये हैं लेकिन वास्तविक रूप से उद्देश्य की पूर्ति में हम पूरी तरह सफल नहीं हो पाये हैं। शिक्षा बालकों का मूल अधिकार है, प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त होना स्वतन्त्र भारत के इतिहास की युगान्तकारी घटना साबित हो सकती है।

अध्ययन का महत्व :–

बच्चे का अर्थ होता है बुराईयों से बचा हुआ। नन्हे–मुन्ने फूलों को वात्सल्य के जल से सींचा जाना चाहिए। अनुशासन के नाम पर कहीं–कहीं अभिभावक बच्चों का जीना दूभर कर देते हैं। बार–बार ऐसा करने से कोमल पौधे की तरह बालकों का भी विकास नहीं हो पाता है। फलस्वरूप वे बचपन से ही विद्रोही स्वरूप अपना लेते हैं या वो इतने भीरू हो जाते हैं कि बात–बात पर माता–पिता का मुँह देखते रहते हैं। स्वतन्त्र निर्णय लेने के लिए सदा ही अक्षम बने रहते हैं। बचपन में ही ऐसे प्रभाव उनके मस्तिष्क पर पड़ जाने से वे पलायनवृति अपना लेते हैं।

उपर्युक्त सभी बातों को ध्यान में रखते हुए शोधकर्ता ने अभिभावकों की बाल अधिकारों के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन करने का निर्णय लिया है। इस प्रकार का अध्ययन कार्य आज तक बहुत ही कम हो पाया है।

अध्ययन का औचित्य :-

वर्तमान समय में न केवल भारत बल्कि सम्पूर्ण विश्व में बालकों से जुड़ी विभिन्न समस्यायें हमारे समक्ष विद्यमान है। बालकों के विकास के लिए आवश्यक है उनसे सन्दर्भित समस्याओं को प्रत्येक व्यक्ति समझकर समाधान करने के प्रयास करे। बच्चें भविष्य के निर्माता होते हैं और यदि निर्माता ही समस्याग्रस्त हो तो हम समाज के उज्ज्वल भविष्य की कल्पना करें, यह असम्भव सा प्रतीत होता है। दुनियाभर में आज बालकों की समस्या को जानने, समझने एवं उनके निराकरण के प्रयास किये जा रहे है। बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिये आवश्यक है समाज एवं राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति का रवैया इसके प्रति सकारात्मक हो तथा इनके पक्ष में प्रयास करने की प्रवृति जागृत हो इसके लिए आवश्यक है विद्यार्थी वर्ग स्वयं इसके प्रति सचेत हो।

शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा बच्चों के अधिकारों के प्रति बच्चों को अवगत करवाकर उन्हें इसके प्रति जागरूक बनाया जा सकता है अतः इसके लिये आवश्यक है उनकी अभिवृत्ति को जानने की। इस प्रकार के अध्ययन के माध्यम से प्रस्तुत समस्या पर गहन विचार करके इसके निराकरण के मार्ग को खोजने का प्रयास अत्यावश्यक है। समाज के विभिन्न वर्ग, सरकारें, संस्थायें एवं विभिन्न स्वयं सेवी संगठन आज स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बालकों की समस्याओं पर दृष्टिपात कर रहे हैं तथा समस्या के मूल की खोज करने के प्रयास करते हैं। विभिन्न स्तरों के अनेक शोधकार्य इस सन्दर्भ में किए जा रहे है। **बरगे स्ट्रोम, मेरलॉन एलिजाबेथ (1988)** ने बच्चों के स्कूलों तथा घरों में अधिकार व शारीरिक दण्ड देने की प्रवृति का अध्ययन किया। विद्यालयों, घरों में बालकों के प्रति होने वाली हिंसा एक गम्भीर एवं ज्वलन्त समस्या है। शारीरिक दण्ड के कारण बच्चों के स्वभाव एवं सम्मान प्रभावित होते हैं।

पूर्व में हुए अध्ययनों के अतिरिक्त इस दिशा में अलग–अलग चरों पर अनेक अध्ययन सम्पादित हुए, लेकिन प्रस्तुत समस्या पर अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ है। यह कार्य एक नवाचार शैक्षिक लक्ष्य पर विद्यालय उपयोगी, समाज उपयोगी, अध्यापक उपयोगी एवं विद्यार्थियों के लिए फलदायी होगा, जिससे हम अभिभावकों की बाल अधिकारों के प्रति अभिवृत्ति के स्तर का पता लगाने एवं इस अभिवृत्ति का बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमता, उपलब्धि एवं व्यक्तित्व समायोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है, का पता लगाने में सफल हो सकेंगे। किसी भी अध्ययन की सार्थकता उसकी आवश्यकता के स्वरूप एवं उपयोगितात्मक पहलुओं पर निर्भर करती है। साथ ही इस संदर्भ में यह देखा जाता है कि अध्ययन समाज को क्या नई दिशा देने वाला है। उपर्युक्ता मानक रूपी दृष्टिकोण को मध्यनजर रखते हुए प्रस्तुत अध्ययन सार्थक एवं औचित्यपूर्ण है, क्योंकि बाल अधिकार आज के समय की महत्वपूर्ण आवश्यता है।

समस्या कथन :–

''अभिभावकों की अध्येता बाल अधिकारों के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन''

अध्ययन के उद्देश्य :–

1. बाल अधिकारों के प्रति पुरूष एवं महिला अभिभावकों की अभिवृत्ति का अध्ययन करना।

अध्ययन की परिकल्पनाएँ :–

1. बाल अधिकारों के प्रति पुरूष एवं महिला अभिभावकों की अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।

न्यादर्श :–

प्रस्तुत अध्ययन में राजस्थान राज्य के झुंझनूं जिले के 600 अभिभावकों को न्यादर्श के रूप में लिया गया है।

शोधविधि :–

प्रस्तुत अध्ययन में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है क्योंकि अनुसंधान की यह एक वैज्ञानिक विधि है। इस विधि द्वारा प्राप्त निष्कर्ष वैध एवं विश्वसनीय होते हैं।

अध्ययन में प्रयुक्त उपकरण :–

बाल अधिकारों के प्रति अभिवृत्ति मापनी :–

प्रस्तुत शोधकार्य में शोधकर्ता द्वारा स्वनिर्मित बाल अधिकार मापनी का प्रयोग किया गया है।

अध्ययन में प्रयुक्त सांख्यिकी :–

प्रस्तुत शोध अध्ययन में प्रयुक्त सांख्यिकी मध्यमान (M), प्रमाणिक विचलन (SD) एवं C.R. Value की गणना की जायेगी।

समंकों का सारणीयन एवं विश्लेषण :–

प्रस्तुत शोधकार्य में अनुसंधानकर्ता ने संकलित एवं व्यवस्थित आंकड़ों का विश्लेषण जिस प्रकार किया है, उसका परिकल्पनानुसार विवरण निम्न प्रकार है –

सारणी संख्या – T.IV.1

बाल अधिकारों के प्रति पुरूष एवं महिला अभिभावकों की अभिवृत्ति के फलांको के सम्बन्ध में मध्यमान अन्तर की सार्थकता

अभिभावक	संख्या (N)	माध्य (Mean)	मानक विचलन (S.D.)	क्रांतिक अनुपात मान (C.R..Value)	सार्थकता स्तर	
					.05	.01
पुरूष अभिभावक	50	19.58	7.74	2.95		सार्थक अन्तर हैं।
महिला अभिभावक	50	20.48	6.29			

(df=N_1+N_2—2=150+150—2=298)

विश्लेषण :–

उपर्युक्त सारणी में गणना द्वारा प्राप्त मान तालिका मान से अधिक है। इस आधार पर परिकल्पना को अस्वीकृत किया जाता है। अर्थात् बाल अधिकारों के प्रति पुरूष एवं महिला अभिभावकों की अभिवृत्ति में सार्थक अंतर है।

आरेख संख्या – 1

बाल अधिकारों के प्रति पुरूश एवं महिला अभिभावकों की अभिवृत्ति के फलांको के सम्बन्ध में मध्यमान अन्तर का दण्डारेखीय प्रदर्शन

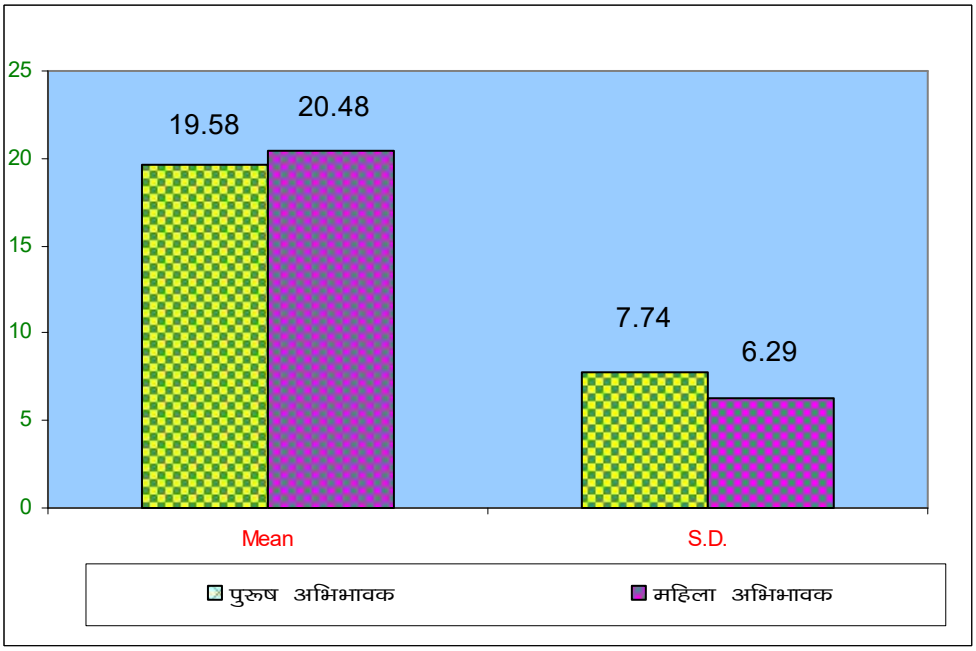

शैक्षिक उपयोगिता :-

प्रस्तुत शोध कार्य में अभिभावकों के अपने अधिकारों के प्रति अभिवृत्ति को जानकर उन्हे इसके प्रति जागरूक करने हेतु अभिप्रेरित करने का एक सूक्ष्म प्रयास किया गया है। साथ ही अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर संरचनात्मक परिवर्तन को एक नई दिशा प्रदान करने का प्रयास किया जा सकेगा। वर्तमान समय में विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों एवं समाज के विभिन्न वर्गों को बालकों के अधिकारों को प्रति संवेदनशील व सकारात्मक होने की आवश्यकता है। सम्भवतः इस प्रकार के शोध कार्य इस क्षेत्र में एक नई दिशा प्रदान करने का कार्य करेंगे।

शोधकर्त्ता इस प्रकार की समस्याओं पर भविष्य में निरन्तर कार्य करने का प्रबल इच्छुक है। शिक्षा के क्षेत्र में निरन्तर उर्ध्वगामी विकास हो इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षा से जुड़ी विभिन्न समस्याओं का पहचान कर उनके कारणों एवं तथ्यों की खोज की जाये। शोधकर्त्ता को आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि प्रस्तुत शोध कार्य से बालकों के प्रति विद्यालय, समाज, घर–परिवार सभी स्तरों पर सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास सम्भव होगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1.	अग्रवाल, आई.पी. (1996)	:	''बाल विकास एवं शैक्षिक क्रियाएं'', आर्य बुक डिपो, करोल बाग, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या 141-146.
2.	अरोड़ा, रीता एवं मारवाह, सुदेश (2001)	:	''शिक्षा मनोविज्ञान एवं सांख्यिकी'' 23, भगवान दास मार्केट, चौड़ा रास्ता, जयपुर, पृष्ठ संख्या – 43
3.	अस्थाना, विपिन (1994)	:	''मनोविज्ञान और शिक्षा में मापन और मूल्यांकन'', विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा–2 (उ.प्र.), पृष्ठ संख्या – 53
4.	भार्गव, महेश (1993)	:	''आधुनिक मनोविज्ञान परीक्षण एवं मापन'' द्वितीय संस्करण, भार्गव बुक हाऊस, राजामण्डी, आगरा–2, पृष्ठ संख्या – 24
5.	भार्गव, उषा (1993)	:	''किशोर मनोविज्ञान'' राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी जयपुर, पृ.सं.– 54, 55
6.	भटनागर, ए.बी.; भटनागर मीनाक्षी (2004)	:	''शिक्षण व अधिगम का मनोविज्ञान'' आर.लाल. बुक डिपो, मेरठ, चतुर्थ संस्करण, पृष्ठ संख्या – 31, 54.
7.	भटनागर, आर.पी. (2003)	:	''शिक्षा अनुसंधान'' इन्टरनेशनल पब्लिशिग हाऊस, मेरठ–250001, पृ.स.120.

8.	भटनागर, सुरेश (1993)	:	''अधिगम एवं विकास के मनोसामाजिक आधार'' इण्टरनेशनल पब्लिशिंग हाऊस, मेरठ, चतुर्थ संस्करण, पृष्ठ संख्या – 128.

Websites

1.	www.timesonline.co.uk/news/politics/article5489213
2.	www.ohlininstitutet.org/isbn 978-91-976648-9-9
3.	www.google.com/Leadership Qualities-a / efo41898. pdf.
4.	www.google.com/spary, carole.pdf
5.	http://www.sagepub.co.uk/journalsPermissions.nav/Sociology
6.	www.jrf.org.uk/0545/pdf